

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक चिताम्बा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार तहसीलदार करेड़ा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम श्यामल पटवार हल्का चिताम्बा तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2073-76 में खाता संख्या 65 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	श्यामल	65	गेर-खातेदार आक. 137 रकबा 0.86 हक्टर	खातेदार आक. 137 रकबा=0.86 हक्टर

उपखण्ड अधिकारी

करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक :- 16/10/2021

क्रमांक/न्यायालय/2018 2021/01

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री भोजा, नारायण मेवा पिल लच्छु गुर्जट का
निवासी- श्यामल

उपखण्ड अधिकारी

करेड़ा जिला भीलवाड़ा